(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AAR	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का, निर्माण कार्य के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AAE प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

टास्क फोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु टास्क फोर्स की संस्तुतियाँ विभाग को मान्य हैं।

अमीन	~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ प्रा०ख०,लो०नि०वि० नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा०ख०,लो०नि०वि० नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा०ख०, लो०नि०वि० नैनीताल

(41)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AAE	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल

(42)

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.360 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

अमीन	~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AAE प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

रा0 पा0

प्रभागीय वनाधिकारी

जिलाधिकारी
नैनीताल

उत्तराखण्ड राजस्व पुलिस
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र..........
तहसील..........
जनपद नैनीताल

तहसीलदार
नैनीताल।

वन क्षेत्राधिकारी
...

परगना मजिस्ट्रेट,
नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (...)
नैनी ... वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

अमीन	~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

तहसीलदार नैनीताल.

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र........ तहसील........ जनपद नैनीताल

जिलाधिकारी नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (द्वि०) नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल.

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
सौड़	–	1000
बासी		800
	योग	1800

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AAE प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.360 हे0 वन पंचायत भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 0.720 हे0 में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो0नि0नि0 द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AAE	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो लो0नि0वि0 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

अमीन	~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

47

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल मे घुघुखान–सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.360 हे0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये 1500000.00 प्रति हे0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू0 10800.00 होता है ।

अमीन	कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल

तहसीलदार
नैनीताल.

परगना मजिस्ट्रेट,
नैनीताल

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लो0नि0नि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लो0नि0नि0 द्वारा जमा करा दी जायेगी।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AAR	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible]

स्थल विशिष्ट होने/ न होने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
नैनीताल

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

तहसीलदार,
नैनीताल.

परगना मजिस्ट्रेट,
नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नि०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

मलुवा निस्तारण प्रमाण

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग के नव निर्माण के दौरान उत्पादित मलवे का निस्तारण मार्ग निर्माण हेतु भरान कार्य में किया जाएगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल

परियोजना का नाम :— जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।

मलुवा निस्तारण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग के निर्माण से उत्पन्न मलुवे का 60% भाग Soil Mixed With Gravel के रूप में तथा 40% भाग पत्थर व बोल्डर के रूप में प्राप्त होगा।

मार्ग में प्रति किलो मीटर 4 पासिंग प्लेस बनाए जाने हैं, जिन पर Soil Mixed With Gravel के रूप में प्राप्त मलुवे का 15% भाग भरकर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी।

शेष 45% Soil Mixed With Gravel के रूप में प्राप्त मलुवे के निस्तारण हेतु खड्ड साइड़ में निम्न प्रकार दीवारों का निर्माण किया जाएगा।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	सं0	लं0	चौ0	उ0/ग0	मत्रा आयतन	दर	धनराशि रू0
1.	मोटर मार्ग निर्माण में पहाड़ कटान से निकले मलुवे को खड़्ड़ साईड में निस्तारण हेतु दीवार निर्माण के लिए नींव खुदान का कार्य (मजदूर एवं संयंत्र सहित)							
	किमी0 1 से किमी0 5. 500–चैनेज 0.000 से 5.500 तक	1 X 16 X 1/3	25.00	3.00	0.0+1. 60/2	319.99	50.00	15999.99
2.	पत्थर की सूखी चिनाई का कार्य मजदूर, सामग्री, एवं यंत्र सहित प्रतिधारक दीवारों में	1X 2	25.00	(0.60+1. 35)/2	3.00	146.25	550. 00	80437.00
							योग	96437.49
							Say	96437.49

प्राक्कलन में दरें अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार ली गई हैं।

मलुवे का 40% भाग जो कि पत्थर व बोल्ड़र के रूप में प्राप्त होगा, का इस्तेमाल उपरोक्त दीवारों के अलावा इस मार्ग पर बनाए जाने वाली Retaining Walls, Breast Walls, Scuppers एवं Causeway में इस्तेमाल कर लिया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

उप ... वनाधिकारी
नैनी... प्रभाग, नैनीत

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग

मार्ग का नाम :— जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

मानक शर्तें

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

परियोजना का नाम :— जनपद नैनीताल में घुघुखान—सौड़ व देवीपुरा—सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन / सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AHR	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल

कार्यस्थल पर श्रमिकों द्वारा रसोई गैस इस्तेमाल किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण के दौरान कार्य स्थल पर श्रमिकों द्वारा भोजन बनाने हेतु रसोई गैस की व्यवस्था की जाएगी।

~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ AAR	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0,लो0नि0वि0	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल

मार्ग निर्माण में विस्फोटकों का प्रयोग न किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ मोटर मार्ग एंव देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है, कि मार्ग के निर्माण में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

<u>पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग का नव निर्माण कार्य किया किया जा रहा है।

~~कनिष्ट अभियन्ता~~	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल

(क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मानचित्र)

डिजिटल मैप–जनपद नैनीताल मे घुघुखान–सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई–0.660 किमी0)

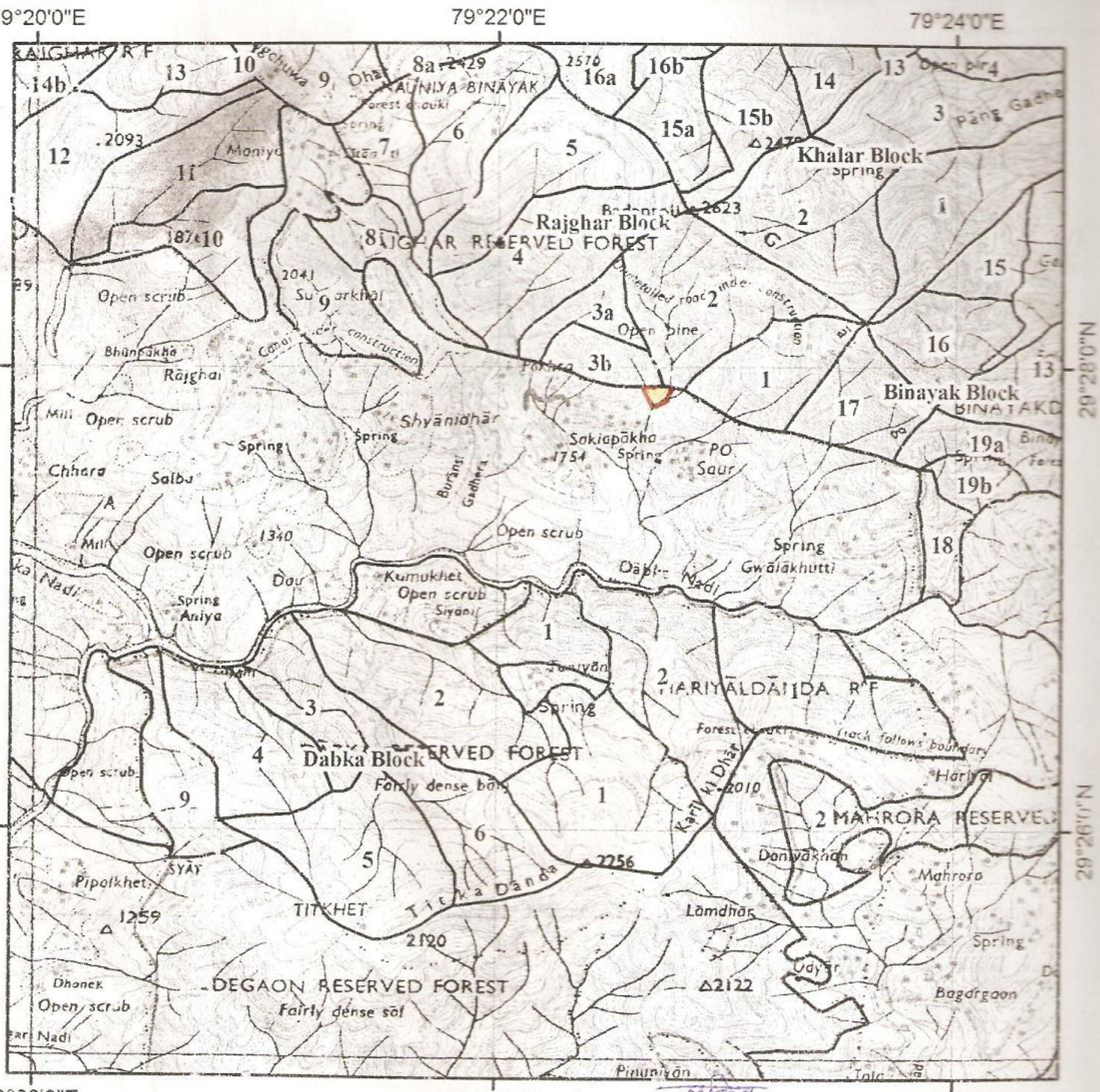

संकेत
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल
(पोखरा)

Legend

Proposed Road

Reserve Forest Boundary

अभि० सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि० नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० नैनीताल

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र</u>

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य

मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया। 1.0 है0 से कम भूमि प्रभावित होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण आवश्यक नहीं है।

अमीन	~~कनिष्ठ अभियन्ता~~ प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल

उप [illegible] [illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल व० प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

(22)

डिजिटल मैप–जनपद नैनीताल मे घुघुखान–सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई–0.660 किमी0)

Legend

Proposed Road

Reserve Forest Boundary

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

डिजिटल मैप–जनपद नैनीताल मे घुघुखान–सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई–0.660 किमी0)

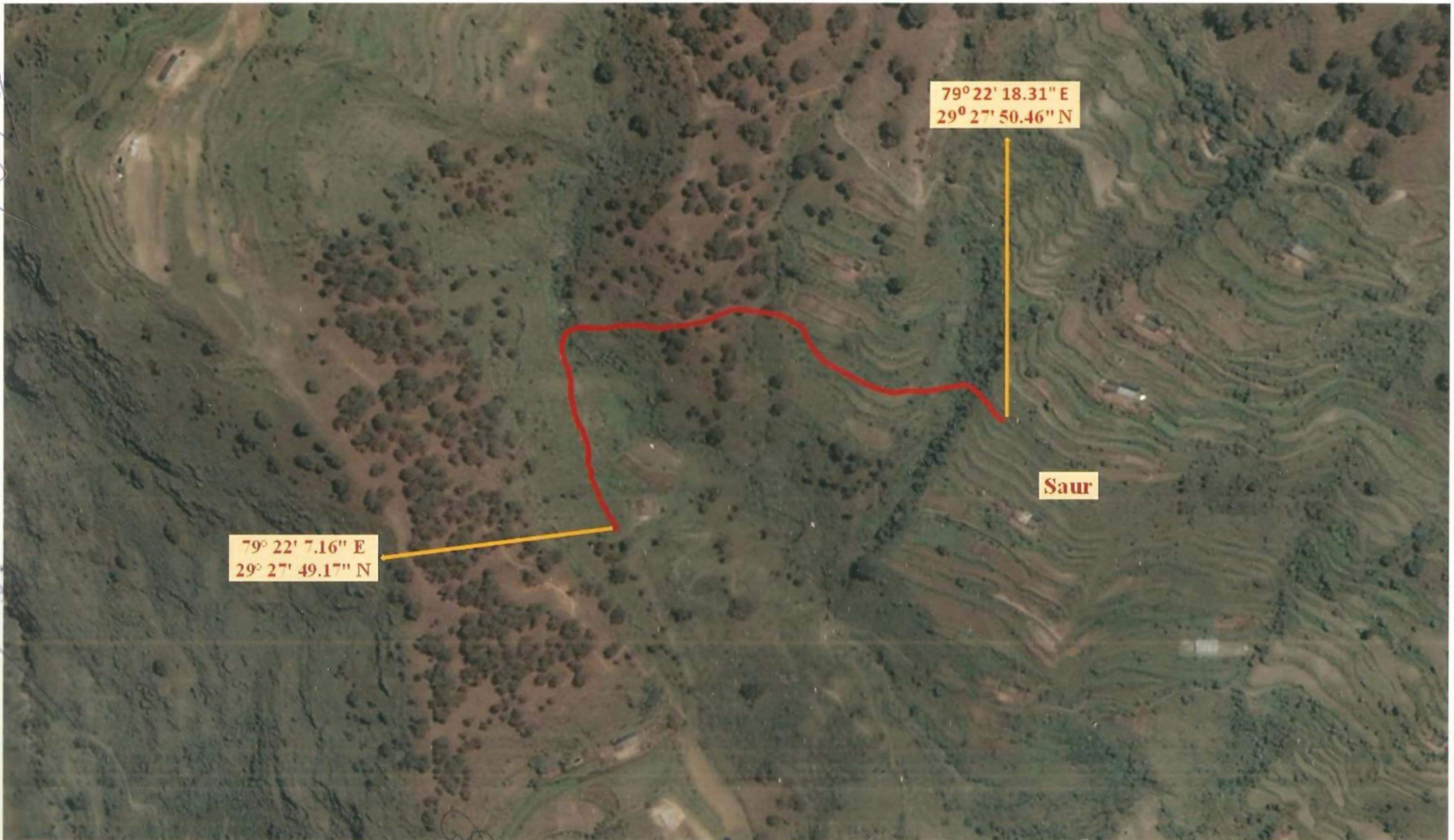

Legend
Proposed Road

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

(23)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

घुघरवान-सौड़ मोटर मार्ग के किमी० 13 से आगे डेवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग में मिलान करने हेतु लो० नि० वि० द्वारा किये गये संरेखण से हम समस्त ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत सौड़
पो० मोड़ ... सौड़
जि० ...
नैनीताल
8.8.2011

30A

12

ग्राम पंचायत/पंचायतों का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद नैनीताल में घुघूखान–सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण, लम्बाई 0.660 किमी॰ हेतु जो विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, वह एकदम सही है। इसी संरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने से ग्राम पंचायत/पंचायतों को कोई आपत्ति नहीं है। इसी संरेखण पर उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में होगा।

नीलादेवी
प्रधान,
ग्राम पंचायत सौड़
वि० ख० कोटाबाग (नैनीताल)

सत्य प्रतिलिपि

Prtivedn Later-\40

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नामः–धुधुखान सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग

वन क्षेत्र कोसी वन प्रभाग नैनीताल।

दसगुने पौधौ का रोपण हेतु प्रस्तावित धनराशि

कम संख्या	कार्य विवरण	संख्या	नपत लं0	चौ0	उ0	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	सर्वे व सीमांकन कार्य					0.17	Hact.	53	9.01
2	क्षेत्रीय सफाई व झाड़ी कटान					0.17	Hact.	692	117.64
3	अग्रिम दीवारबन्दी फेसिंग					0.17	Hact.	15540	2641.80
4	अगिम मृदा कार्य करना					0.17	Hact.	8000	1360.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना					0.17	Hact.	265	45.05
6	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष					0.17	Hact.	8480	1441.60
7	अन्य व्यय					0.17	Hact.	450	76.50
8	भूमि एंव जल संरक्षण कार्य					0.17	Hact.	7500	1275.00
	कुल योग (प्रथम चरण)								**6966.60**
1	गड्ढा भरान करना	1	0.3	0.3	0.3	0.17	Hact.	1400	238.00
2	पौधौ की कीमत द्वितीय वर्ष	-	-	-	-	0.17	Hact.	3400	578.00
3	पौध ढुलान कार्य (75 प्रतिशत बैग तथा 25 प्रतिशत जड़		-	-	-	0.17	Hact.	9000	1530.00
4	पौध रोपण तथा थावलाबन्दी कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	2300	391.00
5	निराई, गुड़ाई तथा मल्चिंग कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	1600	272.00
6	रासायनिक खाद व दवा	-	-	-	-	0.17	Hact.	230	39.10
7	देख–रेख व रख–रखाव कार्य वर्ष में 8 माह	-	-	-	-	0.17	Hact.	3000	510.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत सूखी घास–फूस जलाना आदि	-	-	-	-	0.17	Hact.	214	36.38
9	सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	-	-	-	-	0.17	Hact.	150	25.50
10	प्रोत्साहन व्यय/प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	0.17	Hact.	640	108.80
11	अन्य व्यय	-	-	-	-	0.17	Hact.	1000	170.00
	कुल योग (द्वितीय चरण)								**3898.78**
	तृतीय चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	5500	935.00
	चतुर्थ चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	5500	935.00
	पंचम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	6050	1028.50
	कुल योग (तृतीय से पंचम चरण)	-	-	-	-				**2898.50**
	सषटम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	6655	1131.35
	सत्तंम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	7300	1241.00
	अष्टम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	8000	1360.00
	नवंम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	8800	1496.00
	दशंम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	0.17	Hact.	9700	1649.00
	कुल योग(संषटम से दशम चरण)	-	-	-	-				**6877.35**
	महायोग क्षतिपूरक वृक्षारोपण	-	-	-	-				**20641.23**
								say	**20641.00**

वन प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल।

प्राकलन - पथ वृक्षारोपण

हुघुरवान रोड - देवीपुरा रोड मोटर मार्ग [illegible]

कोसी वन क्षेत्र

कार्य विवरण	इकाई	दर	धनराशि
गड्ढा खुदान कार्य 0.60 x 0.60 x 0.60	132 गड्ढा	6.50	858.00
स्थाई ट्री गार्ड, पत्थर एकत्र करना व ढुलान कार्य	132 अदद	488.65	64501.80
पौधों का मूल्य प्रथम वर्ष	132 पौधा	2.60	343.20
अन्य व्यय	660 मी०	212.00	139.92
पौधों का मूल्य द्वितीय वर्ष	132 पौधा	0.45	59.40
गड्ढा भरान कार्य	132 गड्ढा	0.55	72.60
पौधों का ढुलान कार्य वैग/नर्सरी 12 कि०मी०	132 पौधा	[illegible] कि०मी०	1156.32
पौधा रोपण कार्य मय थावला बन्दी सहित	132 पौधा	0.90	118.80
अन्य व्यय	660 मी०	212.00	139.92
		योग	67389.96

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी रेंज
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

36

8

measures of stabilization may also be adopted. In the last stretch , beyond the nala the rocks are dipping towards the slope therefore due care should be taken to support the inner side of the road. There are no hair pin bands in the alignment.

SUGGESTIONS :

Keeping in view the geological, structural disposition , slope conditions the following points should be considered for the stability of the road in long term-

(i)Towards the hill slope proper drains should be constructed. The slope water should not be allowed to enter the road section.

(ii) There is no need of using explosives in the sector as most of the rocks lying along the road is easily excavable .

(iii)The loose , unconsolidated ancient landslide deposits exposed in patches should be removed and the slopes be provided with breast and retaining walls.

(iv)The only main nala (middle part of the alignment) should be provided with scupper/ causeways as the need be. Presently there is no surface runoff but there lot of loose debris in the channel which may come down during rains. Therfore a few wire mesh stone walls / traps may be constructed to control the downward movement of the sediments in future.

CONCLUSION :

The missing road link between Ghughukhan – Saur road and Devipura –Saur road may be constructed keeping in view the above points. Discussions on the site specific problems were also held with the engineer and field staff of the department.

Professor and Head
Department of Geology
Kumaun University
NAINITAL (Uttarakhand)

सत्य प्रतिलिपि
AE

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.